प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

ग्रामीण आवास आयुक्त,
उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद,
लखनऊ ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-4** **लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2016**

विषयः-लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण के माध्यम से ली गयी धनराशि से वित्तीय वर्ष-2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि से योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के सापेक्ष आहरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र सं0-1000 / सम्प्रेक्षा / लो0ग्रा0 आ0यो0 / 2016, दिनांक-10-03-2016(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रू0-11037.125 लाख की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित रू0 25992.10 लाख में से शासनादेश सं0-38 / 2015 / 1601 / 38-4-15-21(बजट) / 2014, दिनांक-28-12-2015 के द्वारा रू0-18660.125 लाख, शासनादेश सं0-6 / 2016 / 86 / 38-4-16-01(घोषणा) / 2015, दिनांक-14-03-2016 के द्वारा धनराशि रू0-8.25 लाख तथा शासनादेश सख्या-09 / 2016 / 327 / 38-4-16-21(बजट) / 2014, दिनांक-18-03-2016 के द्वारा धनराशि रू0-7323.725 लाख अर्थात कुल रू0 25992.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 में अब कोई धनराशि अवशेष नहीं है ।

**3-** लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक-31-03-2015 को हडको से ऋण के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद को लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 मे नये लाभार्थियों के लिये आवास निर्माण हेतु शासकीय अनुबन्ध पत्र के द्वारा धनराशि रू0-1500 करोड से प्रथम किश्त के रूप मे वास्तविक रूप में प्राप्त धनराशि रू0-6,59,54,18,243.00 को ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश सं0-318 / 38-9-2015-2(ग्रा0आ0परि0) / 2015, दिनांक-07-04-2015 के द्वारा आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ ने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के डिपाजिट खाता(पी0एल0ए0) में जमा की गयी है। पी0एल0ए0 में जमा उक्त रू0-6,59,54,18,243.00 में से शासनादेश सं0-01 / 2016 / 47 / 38-4-16-20(बजट) / 2015, दिनांक-19-01-2016 द्वारा रू0-48327.276 लाख तथा संख्या-10 / 2016 / 308 / 38-4-16-01(बजट) / 2015, दिनांक 21.03.2016 द्वारा रू0 11337.136 लाख की धनराशि अर्थात कुल रू0 59664.412 लाख

**-2 / -**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की धनराशि पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार पी0एल0ए0 में अब रू0 6289.77043 लाख की धनराशि अवशेष उपलब्ध है।

**4-** उपर्युक्त के दृष्टिगत आयुक्त, ग्राम्य विकास के उपरोक्त पत्र दिनांक 10.03.2016 के प्रस्ताव में उल्लिखित रू0-11037.125 लाख में से अवशेष रू0 3713.40 लाख की धनराशि की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश संख्या-10/2016/308/38-4-16-01(बजट)/2015, दिनांक 21.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक-31.03.2015 को हडको से लिए गये ऋण की प्रथम किश्त के रूप में वास्तव में प्राप्त एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के डिपाजिट खाता(पी0एल0ए0) में जमा रू0-6,59,54,18,243.00 में से अवशेष रू0 6289.77043 लाख में से वित्तीय वर्ष-2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के चयनित/पात्र लाभार्थियों के लिए लोहिया आवास निर्माण हेतु धनराशि **रू0-3713.40 लाख (रू0 सैंतिस करोड़ तेरह लाख चालीस हजार मात्र)** को आहरित कर व्यय करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

**(1)** आहरित की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-925/दस-2015-231/2012, दिनांक-30 मार्च, 2015 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(2)** आहरित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य समक्ष प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

**(3)** आहरित की जा रही धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

**(4)** पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की वास्तविक व्यय की आवश्यकता होगी।

**(5)** पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/योजना में नहीं किया जायेगा।

**(6)** समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

**(7)** पी0एल0ए0 में आहरित की जाने वाली धनराशि का उपयोग समयान्तर्गत योजना हेतु निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

**(8)** आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

**(9)** इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

**-3/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**(10)** वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

**(11)-**उपरोक्त धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब लाभार्थियों का चयन हो चुका हो तथा धनराशि का अंतरण तत्काल लाभार्थियों को किया जाना हो। आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 को

उपलब्ध करायी जा रही धनराशि जनपदों को उनके लक्ष्यों के सापेक्ष आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदों द्वारा उक्त धनराशि लाभार्थियों के खातों में तत्काल ई-पेमेंट द्वारा सीधे अन्तरित की जायेगी।

**(12)-** पी0एल0ए0 में जमा धनराशि एवं आहरित धनराशि का लेखा-जोखा रखने का दायित्व उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद का होगा।

**5-** यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-बी-/47/दस-2016, दिनांक- 22 मार्च, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

**संख्या- 11/2016/339(1)/38-4-2016, तद्दिनांक ।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
4- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
5- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ ।
6- निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
7- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ।
10- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र गौतम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।